

## RULES OF WATERSHED COMMITTEE - CONTD.

36

वाटरशेड कमेटी के विघटन के उपरान्त, उसकी अचल सम्पत्ति ग्राम रामा की सम्पत्ति तथा चल सम्पत्ति ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगी। इस अवधि के सभी अभिलेख, जिनका सम्बन्ध डी.आर.डी.ए. के फण्ड से है, डी.आर.डी.ए. को हस्तांतरित हो जावेंगे।

डी.आर.डी.ए. के पी.आई.ए. तथा वाटरशेड कमेटी के पंजीयन नियमों के सभी प्रावधान डब्ल्यू.सी. पर लागू होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि डी.आर.डी.ए. द्वारा प्रकाशित डब्ल्यू.सी. के नियमों की यह प्रमाणित प्रति है।

(डब्ल्यू.सी. के चार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित)

1.

जुल्लू नवाज़ी  
अध्यक्ष

3.

4.

मोहम्मद  
अध्यक्ष

(पी.आई.ए. का सदस्य)